जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

ADR सेन्टर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)
(Phone - 07453-294186 Chairman/Secretary E-Mail dlsa5baran@gmail.com)

क्रमांकः– 66

दिनांकः–28.03.26

–::संविदा सूचना::–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ.7()/रालसा/संस्था–किराया वाहन/2025 /6253–6284 दिनांक 12.03.2026 एवं अन्य पत्र क्रमांक एफ.7(197/2)/रालसा/संस्था–किराया वाहन/2025 /7304–7334 दिनांक 24.03.2026 की पालना में वित्त (जी. एण्ड टी./एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021, 05.04.2022 व 03.10.2023 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां हेतु नियमानुसार (1500 किमी तक 28900 रूपये प्रतिमाह तत्पश्चात 10 रूपये प्रति किमी. अधिकतम 2000 किमी. तक 34100 रूपये जीएसटी अतिरिक्त) मासिक किराये के आधार पर (सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार हेतु) वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रथमतः **दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक** की अवधि के लिये टेक्सी परमिट वाहन संविदा दर पर उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय द्वारा गठित उपापन समिति के माध्यम से बिना निविदा/सीधे संविदा आधार पर लिया जाना है। उक्त अवधि के पश्चात किराया वाहन अनुबन्ध में वृद्वि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की अनुमति से किया जा सकेगा। इच्छुक संविदादाता जो संविदा प्रपत्र की शर्तो की पूर्ण पालना करते है, अपने प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 30.03.2026 को 04:30 पी.एम. तक जमा करवाये। प्राप्त आवेदन पत्र उसी दिनांक को उपस्थित आवेदन कर्त्ताओं के समक्ष 05:00 पी.एम. पर खोले जायेगें।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बारां(राज.)
दिनांक 28.03.26

क्रमांक 1821

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थान पर चस्पा हेतु प्रेषित है।

1. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला कलेक्ट्रेट/जिला परिवहन अधिकारी, बारां
2. श्री लोकेश कुमार चणोदिया, सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय बारां को जिला न्यायालय बारां की वेबसाईट एवं एस.एच.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. कार्यालय प्रति

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बारां(राज.)